



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 140 राँची, सोमवार,

13 अप्रैल, 2026 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

26 मार्च, 2026

संख्या-ख०नि०स्था०-17/2008- 603--एम०, राँची दिनांक-26.03.2026 श्री संजीव कुमार, जिला खनन पदाधिकारी (PB-IIIवेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे०-6600 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-11), सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक, खान, खान निदेशालय (अतिरिक्त प्रभार अपर निदेशक, खान, राँची) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक, खान (PB-IIIवेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे०-7600 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-12)के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री कुमार पूर्ववत् धारित पद उप निदेशक खान, खान निदेशालय, राँची (तथा अतिरिक्त प्रभार अपर निदेशक, खान, राँची) के पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।

2. संख्या-ख०नि०स्था०-17/2008- 604/एम०, राँची दिनांक-26.03.2026 श्री गोपाल कुमार दास, जिला खनन पदाधिकारी (PB-IIIवेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे०-6600 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-11), सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक, खान, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग (अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, खान, खान निदेशालय, राँची) को उप निदेशक, खान (PB-IIIवेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे०-7600 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-12)के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री दास पूर्ववत् धारित पद उप निदेशक, खान, उत्तरी छोटा नागपुर अंचल, हजारीबाग (तथा अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, खान, खान निदेशालय, राँची) के पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।

3. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रनीता खलखो,
सरकार के उप सचिव
